राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप–7) विभाग

कमांक प. 7(1)गृह–7/2021 जयपुर, दिनांकः 11.05.2021

आदेश

विषय : विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 09.05.2021 में जारी निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 06.05.2021 द्वारा संपूर्ण प्रदेश में दिनांक 10.05.2021 से दिनांक 24.05.2021 तक **महामारी रेड अलर्ट–जन अनुशासन लॉकडाउन** लगाया गया है। श्रमिकों के पलायन को रोकने हेतु समस्त उद्योग एवं निर्माण से सम्बन्धित इकाईयों के संचालन की अनुमति प्रदान की गई है।

उद्योगों एवं निर्माण इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों/कार्मिकों के आवागमन हेतु ऑनलाइन वेब पोर्टल https://covidinfo.rajasthan.gov.in --> e-Intimation by Industries के माध्यम से बस, ट्रक, कार, जीप, अन्य **चौपहिया वाहन एवं दुपहिया वाहनों के लिए ट्रांजिट पास दिनांक 18 मई, 2021 तक self generate कर आवागमन हेतु उपयोग करना सुनिश्चित करें।**

Self Generation आई–डी कार्ड की self generation प्रक्रिया दिनांक 22 मई, 2021 तक पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर से रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट एवं रेलवे स्टेशन/एयरपोर्ट से घर आवागमन हेतु उपयोग में ली जाने वाली टैक्सी सेवा अनुमत होगी।

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 06.05.2021 के बिन्दु संख्या g के क्रम में कोविड मरीज के साथ आये Attendant को हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा जारी किया गया पास ही Attendant द्वारा मरीज से सम्बन्धित आवश्यक सेवाओं जैसे खाना, दवाईयां इत्यादि लाने हेतु उपयोग में लिये जा रहे वाहन के लिए अनुमत होगा।

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, राज्यपाल महोदय
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा
4. विशिष्ट सहायक / निजी सहायक, सभी माननीय मंत्रीगण / राज्य मंत्रीगण
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
6. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव / प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान।
8. महानिदेशक जेल / होमगार्ड।
9. सभी विभागाध्यक्ष।
10. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
11. समस्त कलेक्टर्स।
12. पुलिस आयुक्त, जयपुर / जोधपुर।
13. महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, राजस्थान।
14. महाप्रबंधक, उत्तर–पश्चिम रेलवे, जयपुर, राजस्थान।
15. एयरपोर्ट डायरेक्टर, एयरपोर्ट ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया, सांगानेर, जयपुर।
16. समस्त जिला पुलिस अधीक्षक / पुलिस उपायुक्त , जयपुर / जोधपुर
17. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद
18. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / जिला परिवहन अधिकारी।
19. आयुक्त, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु ।

(सुरेश गुप्ता)
शासन सचिव, गृह

Scanned with CamScanner